

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2452

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप्स का संरक्षण

2452. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश स्टार्टअप्स विभिन्न कारणों से टिक नहीं पा रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में कार्यरत और बंद हुए मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दबाव में चल रहे स्टार्टअप्स को बचाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) : सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने के आशय से और निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत की।

सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यताप्राप्त प्रदान की जाती है। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,52,139 कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या और डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यताप्राप्त 5063 कंपनियां, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) [5 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनियों की स्थिति के आधार पर] के अनुसार, बंद कंपनियों (अर्थात् बंद/

कंपनी की सूची से हटा दी गई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, से संबंधित विवरण अनुबंध-१ में दिया गया है।

(ग) और (घ) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के और स्टार्टअप्स के सतत विकास हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए सरकार निरंतर विभिन्न प्रयास करती है।

प्रमुख स्कीमें नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार पहुंच में सुधार लाने और स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करके सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने के लिए पहलें की हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर), संसाधनों और स्टार्टअप इकोसिस्टम सहयोग के लिए सरल पहुंच को सक्षम बनाता है। इन उपायों को विनियामक सुधार और इकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है।

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2452 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या और डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यताप्राप्त ऐसी कंपनियां, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) [5 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनियों की स्थिति के आधार पर] के अनुसार, बंद कंपनियों (अर्थात् बंद/ कंपनी की सूची से हटा दी गई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	ऐसी कंपनियों की संख्या जिन्हें डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त प्रदान की गई है	स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त ऐसी कंपनियों की संख्या जिन्हें बंद कंपनियों (अर्थात् बंद/ कंपनी की सूची से हटा दी गई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	68	3
आंध्र प्रदेश	2,446	101
अरुणाचल प्रदेश	44	1
असम	1,434	56
बिहार	3,054	86
चंडीगढ़	521	19
छत्तीसगढ़	1,679	51
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	60	-
दिल्ली	15,645	593
गोवा	562	21
गुजरात	12,540	232
हरियाणा	7,961	243
हिमाचल प्रदेश	543	11
जम्मू और कश्मीर	942	34
झारखण्ड	1,425	59
कर्नाटक	16,093	644
केरल	6,173	197
लद्दाख	18	-
लक्ष्मीपुर	3	-
मध्य प्रदेश	4,913	149
महाराष्ट्र	27,014	929
मणिपुर	164	9
मेघालय	58	4
मिजोरम	40	3
नागालैंड	80	4
ओडिशा	2,670	109
पुदुचेरी	160	6
पंजाब	1,672	38
राजस्थान	5,395	160

सिक्किम	11	1
तमिलनाडु	10,053	269
तेलंगाना	7,918	301
त्रिपुरा	133	9
उत्तर प्रदेश	14,429	487
उत्तराखण्ड	1,217	49
पश्चिम बंगाल	5,001	185
कुल	1,52,139	5,063
